भारतीय रिजर्व बैंक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंन्द्रीय कार्यालय
सेंटर - 1 , विश्व व्यपार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई- 400 005

अधिसूचना संख्या. डीएनबीएस.(पीडी) 220/सीजीएम(यूएस) दिनांक 05 जनवरी 2011

भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऎसा करना आवश्यक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 02) (जिन्हें इसके बाद निदेश कहा गया है) की धारा 45-ढग द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसकी ओर से प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित घोषणा करता है कि :-

(i) अधिनियम 45-I क का प्रावधान, कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2011 में संदर्भित कोर निवेश कंपनी वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होती जो कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2011 के खण्ड (ज) के उप पैराग्राफ (1) के पैराग्राफ 3 में परिभाषित प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी नहीं है.

(ii) अधिनियम 45-I क (1)(ख) का प्रावधान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी वाली कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2011 में परिभाषित प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी पर लागू नहीं होती, बशर्ते यह उक्त निदेश में निहित पूंजी आवश्यकताओं तथा लाभ अनुपात का अनुपालन करती है.

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक